



Neutral Citation No. - 2026:AHC:38144

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या 6800/2026

अजिता सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अमित प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया मूल अनुतोष यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/तहसीलदार, न्यायिक, पडरौना, जिला कुशीनगर को वाद संख्या 5663/2025 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी202505440105663) में दिनांक 13.11.2025 को दायर वापसी आवेदन को शीघ्रतापूर्वक विनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि यद्यपि पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, तथापि आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
4. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 उक्त आवेदन को विधि के अनुसार अत्यंत शीघ्रतापूर्वक और अधिमानतः तीन माह की अवधि के भीतर विनिश्चित करे, परंतु जब तक कोई विधिक अड़चन न हो, अनावश्यक स्थगन नहीं दिया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

19 फ़रवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।